

## (UPPSC Block Education Officer BEO Syllabus Hindi)

<u>परिशिष्ट-4</u>		<u>पाठ्यक्रम</u>
<u>प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</u>		<u>सामान्य अध्ययन</u>
<p>खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ) का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या-120, अंक-300 तथा अवधि 2 घण्टे की होगी।</p>		<p>समय-3 घण्टे</p> <p>पूर्णांक-200</p>
<u>पाठ्यक्रम</u>	<u>सामान्य अध्ययन</u>	
समय-दो घण्टे	प्रश्न-120	पूर्णांक-300
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सामान्य विज्ञान</li> <li>2. भारत का इतिहास</li> <li>3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन</li> <li>4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति</li> <li>5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार</li> <li>6. जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में)</li> <li>7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन</li> <li>8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम</li> <li>9. सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता</li> <li>10. उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।</li> <li>11. प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक-अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत का इतिहास</li> <li>2. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय संस्कृति</li> <li>3. भारत का भूगोल</li> <li>4. भारतीय राजनीति</li> <li>5. भारतीय कृषि</li> <li>6. वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व</li> <li>7. भारतीय अर्थशास्त्र</li> <li>8. अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें</li> <li>9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास</li> <li>10. शिक्षा में अद्यतन विकास</li> <li>11. उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।</li> </ol>
<u>परिशिष्ट-5</u>		<u>सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)</u>
<u>मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</u>		
<p>मुख्य (लिखित) परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र यथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी व निबन्ध 3-3 घण्टे एवं 200-200 अंकों के होंगे। इस प्रकार मुख्य (लिखित) परीक्षा कुल-400 अंकों की होगी। सामान्य अध्ययन (परम्परागत) के प्रश्नपत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् है:- प्रश्नों की कुल संख्या-40 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खण्डों में विभाजित रहेंगे। खण्ड-अ के अन्तर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 125) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खण्ड ब के अन्तर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। खण्ड-स के अन्तर्गत 20 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 25) एवं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।</p> <p>सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध के अन्तर्गत प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी 100 अंकों का तथा द्वितीय खण्ड हिन्दी निबन्ध 100 अंकों का होगा।</p>		<p>प्रथम खण्ड</p> <p style="text-align: center;"><u>सामान्य हिन्दी</u></p> <p style="text-align: right;">निर्धारित अंक-100</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।</li> <li>2. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश/ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञापित और परिपत्र सम्बन्धी पत्रलेखन/आलेखन।</li> <li>3. वाक्यों का हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।</li> <li>4. अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द-रूप, संधि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिह्न, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, 30प्र0 की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।</li> </ol> <p>द्वितीय खण्ड</p> <p style="text-align: center;"><u>हिन्दी निबन्ध</u></p> <p style="text-align: right;">निर्धारित अंक-100</p> <p>इसके अन्तर्गत दो उपखण्ड होंगे। प्रत्येक उपखण्ड से एक-एक निबन्ध (कुल मिलाकर दो निबन्ध) लिखने होंगे। प्रत्येक निबन्ध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगे:-</p> <p>(अ) (i) साहित्य, संस्कृति (ii) राष्ट्रीय विकास योजनायें/क्रियान्वयन (iii) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान</p> <p>(ब) (i) विज्ञान, पर्यावरण (ii) प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण (iii) कृषि, उद्योग एवं व्यापार</p>
		सचिव